

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रषक,

विनोद कुमार पाठक,  
सरकार के उप सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनाक

विषय: डा0 लक्ष्मी रंजन प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (गैर संचारी रोग), अररिया के बकाया पेशन की स्वीकृति के सबध में ।

प्रसंग आपके कार्यालय पत्राक पेन-17-494 दिनाक 12 11 2025  
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसागिक पत्र के सबध में कहना है कि बिहार कोषागार सहिता-2011 के नियम-239 के आलोक मे डा0 लक्ष्मी रंजन प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (गैर संचारी रोग), अररिया के पक्ष में दिनाक 01 02 2019 से 30 09 2025 तक की अवधि का बकाया पेशन की राशि 84,48,733/- (चौरासी लाख अडतालीस हजार सात सौ तैतीस रूपये) मात्र के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

( विनोद कुमार पाठक )

ज्ञापक

101 (3)

/स्वा0, पटना, दिनाक

28/01/20

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 लक्ष्मी रंजन प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गैर संचारी रोग, अररिया, पत्राचार का पता-मोहल्ला-न्यूकॉलनी सहरसा, वार्ड नं0-08 (पी0एच0ई0डी0, बड़ा पानी टंकी के पास, रजक टोला), पो0+जिला-सहरसा, पिन-852201, मो0नं0 8227019448 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि विभागीय पी0एम0यू0 लिड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

W. M. K. 28/1/20  
सरकार के उप सचिव